न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 25/20 GCMS NO 2020/00023

1. हजारी पुत्र बदरी जाति संजोगी निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर(मृतक)
   1/1. सीताराम
   1/2. घनश्याम
   1/3. भगवती
   1/4. मगनलाल पुत्रान स्व0हजारी जातियान संजोगी निवासीयान शेखपुर तहसील वजीरपुर
   1/5. सावित्री पुत्री स्व0हजारी पत्नि बाबूलाल जाति संजोगी निवासी सुकार
   1/6. पार्वती पुत्री स्व0हजारी पत्नि मोहन जाति संजोगी निवासी सुकार
   1/7. जयन्त नाबालिंग जरिये पिता विजेन्द्र कुमार संजोगी निवासी कोटा

अपीलांट

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र हजारी जाति संजो.. निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 9/03 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.06.06 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी व मु0न0 23/16 फाईनल डिक्री दिनांक 12.03.16 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री रामदयाल त्रिवेदी
अभिभाषक रैस्पो0 श्री कुश मंगल

दिनांक 14.10.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.06.06 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी व फाईनल डिक्री दिनांक 12.03.16 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दावा घोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती व विभाजन इस आशय का पेश किया कि वादी के पिता हजारी लाल व उनके भाई रामनारायण दो भाई थे और रामनारायण अविवाहित थे तथा उनके कोई वारिस या औलाद नही थी। वादी ही उनके पास रहकर उनकी सेवा करता था तथा जब वे ज्यादा वृद्व हो गये तो दिनांक 22.8.07 को वादी के हक मे एक वसीयतनामा उप पंजीयक अधिकारी गंगापुर सिटी के यहां तहरीर करा दी तथा उक्त वसीयतनामा के अनुसार वादी उनकी चल व अचल सम्पति का वारिस हो गया। उक्त रामनारायण दिनांक 11.10.2001 को स्वर्गवास सिधार गया तथा उनके स्वर्गवास के समय भी वादी ने ही सारा कार्य किया तथा वादी ही वसीयतनामा के आधार पर उनके द्वारा छोडी गई आराजीयात खसरा न0 212 रकबा 1.32 है0 ग्राम शेखपुर तहसील गंगापुर सिटी मे 1/2 हिस्से का तन्हा मालिक है व कब्जा काश्त है। उक्त आराजीयात से अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता ताल्लुक नही है। रामनारायण जो वादी के बाबा लगते थे उनके नाम को भी हाल सेटलमेंट मे सेटलमेंट वालो ने बदल कर रामनाथ कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दिया जिसका सेटलमेंट वालो को कोई अधिकार नही था। वादी ने पटवारी हल्का से नामा0 खोलने की कहा तो पटवारी हल्का ने मना कर दिया इसलिए वाद करना आवश्यक हुआ। अतः दावा डिक्री किया जाकर आराजी खसरा न0 212 रकबा 1.32 है0 स्थित ग्राम शेखपुर मे रामनारायण उर्फ रामनाथ की जगह वादी का नाम 1/2 हिस्से दर्ज किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र दिनांक 3.6.2006 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर आराजी ख0न0 212 रकबा 1.32 है0 ग्राम शेखपुर की विभाजन स्कीम तहसीलदार वजीरपुर से तलब की जाकर वादी का वाद पत्र दिनांक 12.3.16 को फाईनल डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी राधेश्याम द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उनवानी दावा राधेश्याम बनाम हजारी सन 2003 मे तत्समय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहॉ पेश हुआ था जिनको कि तहसील गंगापुर सिटी क्षैत्र की कृषि भूमि संबंधी प्रकरणो का सुनने का अधिकार क्षैत्र था उस समय तक पृथक से वजीरपुर तहसील नही थी व ग्राम शेखपुर तत्समय तहसील गंगापुर सिटी मे ही था। राधेश्याम ने जो प्रार्थी का पुत्र है उसने साजिशी तौर पर यह दावा सन 2002 मे पेश किया था जिसमे उसके द्वारा भूमि खसरा न0 212 रकबा 1.66 है0 की खातेदारी हजारी व रामनारायण के नाम 1/2, 1/2 है व रामनारायण ने अपने हिस्से की भूमि 1/2 राधेश्याम के हक मे दिनांक 22.8.97 को वसीयत करना व रामनारायण का निधन होने से वह 1/2 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जाकर विभाजन किये जाने की प्रार्थना की गई थी। उक्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन जारी हुए जिस पर सम्मन दिनाक 2.2.03 की तामिल पर गवाह के रूप मे किसी मुकेश के हस्ताक्षर है व मकान पर प्रार्थी के उपस्थित नही होने का नोट अंकित है। इस सम्मन की तामिल न्यायालय द्वारा नही मानी गई। इसके पश्चात पुनःसम्मन जारी होने के आदेश होने पर हजारी घर पर नही मिला व खुले मकान पर चस्पा की गई का उल्लेख कर गवाह मगनलाल शर्मा के हस्ताक्षर कराये। जबकि मगनलाल शर्मा के पिता जाति व निवास स्थान का कोई हवाला नही दिया गया। किस तारीख को तामिल कराई गई इसका भी हवाला नही दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी के पास कोई सम्मन नही आया नकले जो प्रार्थी ने ली उसमे आर्डरशीट पर प्रार्थी को स्वयं उपस्थित बताया है व निशानी होना दिनांक 1.4.03 को पेश होना जाहिर किया है। जबकि प्रार्थी कभी न्यायालय मे नही आया व निशानी नही की व पत्रावली मे अपीलांट की ओर से वकालतनामा पेश करना जाहिर हुआ है व वकालतनामे पर मेरे नाम की निशानी लगी हुई है। जबकि वकालतनामे पर प्रार्थी की कोई निशानी नही है। प्रार्थी हस्ताक्षर करता है। प्रार्थी ने किसी व्यक्ति को वकील भी उस केस मे नियुक्त नही किया। वकील का नाम श्री महेश चंद अग्रवाल दर्ज है प्रार्थी कभी श्री महेश चंद अग्रवाल से नही मिला

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

है ना ही उनको जानता है ना ही श्री महेश चंद अग्रवाल मुझे जानते है। यह वकालतनामा दिनांक 28.5.03 को पेश होना आदेशिका से बताया गया है। दिनांक 12.3.04 को आदेशिका मे वकील का उपस्थित न होना जाहिर हुआ है। और इकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई इसके पश्चात दावा दिनांक 3.6.06 को इस तरफा मे प्राथमिक डिक्री हुआ व विभाजन स्कीम तहसीलदार वजीरपुर से मगवाने के आदेश हुए। नायब तहसीलदार ने मुझ प्रार्थी को तथाकथित विभाजन स्कीम तैयार करते समय मौके पर पहुँचने हेतु कोई सूचना नही दी गई वह व्यक्तिगत भौतिक रूप से खेत पर पहुँचे एक तरफा मे विभाजन स्कीम बनाकर न्यायालय मे भेज दी । उस स्कीम के आधार पर भूमि खसरा न0 212 रकबा 1.32 है0 के दो भाग बता कर भूमि का विभाजन होना दर्शा दिया गया जबकि भूमि खसरा न0 212 रकबा 1.32 है0 का कोई मौके पर विभाजन पहले कभी हुआ और ना ही आज कोई विभाजन है। पत्रावली दावे मे यह उल्लेख आया कि न्यायालय मे स्कीम विभाजन आ जाने के पश्चात दिनांक 22.11.06 को न्यायालय ने आदेश पारित किया कि दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। नियमानुसार स्टाम्प डयूटी पेश होने पर अंतिम डिक्री जारी की जावे। दिनांक 24.3.15 की आदेशिका से जाहिर होता है कि इस दिन प्रार्थी वादी राधेश्याम द्वारा डिक्री बनाये जाने के प्रार्थना पत्र पर मूल दावा पत्रावली तलब की गई। पत्रावली न्यायालय उप जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत हुई। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा ग्राम शेखपुर के ख0न0 212 के विभाजन आदेश 24.11.06 को दिया गया था परन्तु वादी के द्वारा स्टाम्प डयूटी पेश नही किये जाने के कारण पर्चा डिक्री जारी नही किया गया था अब वादी ने पर्चा डिक्री बनाये जाने हेतु आवेदन किया है। चूकि ग्राम शेखपुर का क्षैत्राधिकार सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी को है अतः मूल दावा पत्रावली व ममूल प्रार्थना पत्र प्रकरण मे मूल नियमानुसार स्टाम्प डयूटी लेकर डिक्री बनाये जाने हेतु सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे। इस प्रकार पत्रावली सहायक कलेक्टर के यहॉ पेश होने पर दिनांक 1.3.16 को आदेशिका मुताबिक उल्लेख हुआ है कि पत्रावली श्रीमान उप जिला कलेक्टर गगापुर सिटी के क्षैत्राधिकार के अनुसार प्राप्त होने पर पत्रावली इस न्यायालय मे दर्ज की जावे। उक्त पत्रावली मे वकील वादी ने डिक्री बाबत स्टाम्प डयूटी 10/–रूपये दिनांक 10.6.15 को पेश कर दिया है पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12.3.16 को पेश हो। दिनांक 12.3.16 की आदेशिका मे जाहिर आया कि पत्रावली आज लोक अदालत मे पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। स्टाम्प डयूटी बाबत डिक्री पेश हो चुकी है। पत्रावली मे डिक्री जारी की जाती है। इस प्रकार सहायक कलेक्टर के यहॉ दर्ज दावा मु0न0 23/16 दिनांक 12.3.16 को एक लम्बे अन्तराल के पश्चात अंतिम डिक्री पर्चा जारी हुआ। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक व अंतिम डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो कानून एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मुकदमा उपजिला कलेक्टर के यहॉ दर्ज हुआ जिसमे प्रार्थी /अपीलांट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही कर प्राथमिक डिक्री किया गया जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी/अपीलांट की कोई तामिल नही हुई व उसने कभी वकील नियुक्त किया फर्जीयत करके डिक्री प्राथमिक प्राप्त की गई जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/अपीलांट के समक्ष कभी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कोई विभाजन स्कीम तैयार नही हुई है न उस पर प्रार्थी/अपीलांट के हस्ताक्षर है। इस कारण विभाजन स्कीम के आधार पर बनाई गई फाईनल डिक्री निरस्त योग्य है। जिस वसीयत के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित हुई है वह तथाकथित वसीयत खसरा न0 212 की न होकर ख0न0 52 रकबा 3.19 है0 वाके ग्राम शेखपुर बाबत है इस प्रकार यह डिक्री बिलकुल इल्लीगल एवं इनिशियो वोइड है व निरस्त किये जाने योग्य है। वसीयत कानूनी रूप से शहादत मे सिद्व भी नही हुई है। उक्त एक पक्षीय डिक्री की जानकारी प्रार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 23.12.19 को होने से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा नकल आदि प्राप्त की जाकर जानकारी के आधार पर अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक व अंतिम डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एंव अंतिम डिक्री की जानकारी उनको नही थी बल्कि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलांट को नोटिस जारी किये गये है जिस पर एक बार प्रोपर तामिल नही होने के कारण पुनः सम्मन तलवाना पेश करने के आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गय है। जिसकी पालना मे वादी द्वारा पुनः सम्मन तलवाना पेश किया गया था जिस पर अपीलांट के घर पर मौजूद नही मिलने के कारण चस्पादगी से तामिल कराई गई है तत्पश्चात अपीलांट स्वयं अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 1.4.03 को उपस्थित हुए है तथा दिनांक 28.5.03 को अपीलांट की और से श्री महेश चंद अग्रवाल अधिवक्ता ने वकालत नामा पेश किया गया है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन मिथ्या साबित होता है। इसी प्रकार अपीलांट का कथन रहा कि विभाजन स्कीम अपीलांट की मौजूदगी मे नही बनाई गई है। अपीलांट का उक्त कथन भी झूठा है क्योकि विभाजन स्कीम बनाने की तारीख को अपीलांट को मौके पर बुलाया गया था परन्तु उसके द्वारा जानबूझकर नियत दिनांक व समय को उपस्थित नही होने के कारण विभाजन स्कीम नायब तहसीलदार ,भू0अ0निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा संयुक्त रूप से नरस सरस के आधार पर तैयार की जाकर न्यायालय मे पेश की गई है। अपीलांट के अधिवक्ता श्री महेश चंद अग्रवाल द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे जबाब पेश नही करने एवं उपस्थित नही होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। विवादित आराजीयात वादी के बाबा रामनारायण एवं वादी के पिता की संयुक्त खातेदारी की होने से वादी के बाबा का उसमे विधिवत रूप से 1/2 हिस्सा था जिसे वादी के बाबा द्वारा अपने जीवनकाल मे जरिये रजिस्टर्ड वसीयत के वादी के नाम किया गया है। जिसके आधार पर वादी उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम पृथक से कराने का अधिकार रखता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से रजिस्टर्ड वसीयतनामा एवं सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं गवाहान के आधार पर ही अपीलाधीन प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित की गई है। जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व से ही थी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गई है। मियाद के संबंध मे किसी प्रकार का कोई विधिक कारण का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मे अपीलांट द्वारा नही किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

विवादित आराजीयात खसरा न0 212 मे से 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार वादी को विधिवत रूप से प्राप्त हुए है जिनको प्राप्त करने का अधिकार वादी को है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड की विधि सम्यक जॉच किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन प्राथमिक एंव अंतिम डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एंव उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी द्वारा ग्राम शेखपुर तहसील वजीरपुर की आराजी खसरा न0 212 रकबा 1.66 है0 मे से 1/2 हिस्से की वादी/रेस्पो0 के बाबा रामनारायण द्वारा अपने जीवनकाल मे दिनांक 22.8.97 को वसीयत करने के आधार पर वसीयत अनुसार भूमि खसरा न0 212 मे से 1/2 हिस्से की खातेदारी पृथक से दर्ज करने के लिए अधिनस्थ न्यायालय मे दावा पेश किया गया था। रेस्पो/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे आराजीयात खसरा न0 212 रकबा 1.32 है0 दर्ज किया गया है, जबकि पत्रावली मे उपलब्ध रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.8.97 प्रदर्श 1 के अनुसार वसीयतकर्ता रामनारायण पुत्र बदरी जाति संजोगी द्वारा वादी राधेश्याम पुत्र हजारी के पक्ष मे की गई वसीयत मे खसरा न0 52 रकबा 3.19 के 1/2 भाग हेतु किया जाना अंकित है। इस प्रकार वाद पत्र मे अंकित भूमि का खसरा न0 212 रकबा 1.32 है0 है तथा वसीयत मे अंकित खसरा नम्बर 52 रकबा 3.19 है0 अंकित है इस प्रकार वाद पत्र व वसीयत के खसरा नम्बरान मे भिन्नता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा न0 212 रकबा 1.32 है0 को जो विभाजन किया गया है उसमे अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 जो कि उक्त आराजीयात के सहखातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही विभाजन किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री एक पक्षीय है जिसकी जानकारी अपीलांट को समय पर नही होने का तथ्य स्वीकृत योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार मानी जाती है। प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि बंटवारे के बाद मे सहखातेदारान को सुना जाना आवश्यक होता है तथा सहखातेदारान को सुने बिना किसी प्रकार का निर्णय व डिक्री पारित किया जाना विधि विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार की त्रुटि कारित की है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे अंकित खसरा न0 एवं पत्रावली मे उपलब्ध वसीयत मे अंकित खसरा नम्बर मे भिनन्ता होने एवं अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित की गई है जो विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना विधि सम्मत है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 9/03 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.06.06 व न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 23/16 मे पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 12.3.16 को अपास्त किया जाता है। चूकि ग्राम शेखपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वर्तमान मे उपखण्ड वजीरपुर के क्षैत्राधिकार मे हो जाने के कारण प्रकरण उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर के यहाँ दिनांक 3.11.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर